



F-07-08

F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU – 560 037**

**वर्ग अनुमोदन सं. : 169 का संशोधन सहित नवीकरण**  
**Amendment cum Renewal of Type Approval Number 169**

**विषय / Sub : हाई एनर्जी इग्नीशन यूनिट टाइप एचई – 175**  
**High Energy Ignition Unit Type HE – 175**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स सदरन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बेंगलूरु) प्राइवेट लिमिटेड, सं.16-ए, पीन्या इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, पीन्या, बेंगलूरु – 560 058 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "हाई एनर्जी इग्नीशन यूनिट " टाइप एचई-175, को संदर्भ सं. एयरो (आरडी-125)/108/2, दिनांक 17 फरवरी 1976 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 169 जारी किया गया था। यह तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-169, दिनांक 16 मई 2013 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2018 तक थी।

*This is to state that the "High Energy Ignition Unit", Type HE – 175 designed, developed and manufactured by M/s. SOUTHERN ELECTRONICS (BANGALORE) PRIVATE LTD., No. 16 – A, Peenya Industrial Area, Phase – 1, Peenya, Bengaluru – 560 058, was issued with Type Approval No.: 169 vide Reference No.: AERO (RD – 125)/108/2, dated: 17<sup>th</sup> February 1976. This was subsequently renewed vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-169, dated: 16<sup>th</sup> May 2013 and with its validity up to 30<sup>th</sup> June 2018.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अक्टूबर 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 सितम्बर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (वायुयान), सेमिलैक, बेंगलूरु – 560 037, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।



This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> October 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30<sup>th</sup> September 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), CEMILAC, Bengaluru - 560 037, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. एरो (आरडी -125)/108/2, दिनांक 17 फरवरी 1976 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) original Type Approval Certificate vide Reference No.: AERO (RD-125) /108/2, dated: 17<sup>th</sup> February 1976 is amended as stated herewith.

अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र सेमिलैक, बेंगलूर - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]".

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ए.टी/TA -169 / 13R  
दिनांक / Date : 03 October 2018  
फैक्स सं. / Fax No.: 080-2523 0856

K. J. 18  
03/10/18

  
पी . जयपाल / P. JAYAPAL  
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist  
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /  
Chief Executive (Airworthiness)